न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2019/00029 (29/2019) 223 आरटीएक्ट

गुरमेल कौर उम्र 63 वर्ष पत्नी सेवा सिंह जाति कम्बोज सिख साकिन 33 एसटीजी अमरपुरा राठान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। राज0 –अपीलाण्ट

बनाम

1. सेवा सिंह उम्र 68 वर्ष पुत्र श्री कपूर सिह जाति कम्बोज सिख साकिन 33 एसटीजी अमरपुरा राठान तहसील पीलीबगा जिला हनुमानगढ। राज0
2. ओबीसी बैंक शाखा कृषि उपज मण्डी समिति हनुमानगढ जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील व जिला हनुमानगढ। राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। राज0 –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2017 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा प0 सं0 249/2016 बअनवानी गुरमेल कौर बनाम सेवा सिह आदि

श्री सोहन लाल सुथार अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री कुलदीप सिंह ओलख अधिवक्ता रेस्पा0 सं0 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 3

निर्णय दिनांकः–03.01.2020

1. अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वाद प्रस्तुत करते हुए कथन कियाकि प्रतिवादी सं0 1 उसका पति है जिसके नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 33 एसटीजी के खाता संख्या 104/113 में कुल 1.487 है. भूमि खातेदारी दर्ज है जो हमेशा उसके साथ लड़ता झगड़ता रहता है व भरण पोषण नहीं देता है। अपीलाण्ट के नाम से चक 8 जेआरके की उपतहसील डबली राठान के खाता संख्या 59/3 में 3.795 है0 भूमि में से जो मिकर के नाम थी का विक्रय की थी उन रूपयों को मेरे पति ने बदयान्ति करते हुए विवादित भूमि चक 33 एसटीजी की 1.487 है0 भूमि अपने नाम करवा ली। मेरे आपति करने पर समझौता के तौर पर इस विवादित भूमि की 4 बीघा भूमि का कब्जा मेरे को सौंप दिया था

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

तथा कहा था कि यह बीघा भूमि नाम लगवा देगा मगर अब इन्कार हो गया। अपीलाण्ट/प्रार्थीया ने वादपत्र में अंकित भूमि अनुसार भूमि का खातेदार घोषित करने व प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन करने एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2017 के द्वारा वाद वादीया खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन ही नहीं किया मात्र अभियान में कोटा बनाने के लिए पत्रावली को खारिज कर दिया पत्रावली वास्ते जवाब मुकर्रर थी जिसमें जब तक प्रत्यर्थीगण का कोई जवाब नहीं आ जाता व पक्षकारान के बयान नहीं हो जाते तब तक किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता है कि वाद साबित नहीं है जो एक बड़ी भूल है। न्यायिक प्रक्रिया को अपनाये बिना पारित किया गया आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी की भूमि का कब्जा भी वाद के जेरकार रहते हुए छीन लिया है जिस पर वादीया अपीलार्थी द्वारा पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जो जेरेकार है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि पत्रावली को अभियान में रखी गई थी जिसके लिए सभी पक्षकारों को नोटिस दिये गये थे। अपीलाण्ट हाजिर नहीं आये। इसलिए विचारण न्यायालय प्रकरण का निस्तारण करना ही था जो कर दिया है। इसके लिए अपीलाण्ट का इन्तजार नहीं किया जाता है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3 ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट का वाद घोषणा एवं स्थाई व्यादेश व अन्य अनुतोष के शीर्षक से था। जिसमें अपीलाण्ट के नाम से दर्ज चक 8 जेआरके उप तहसील डबली राठान की 3.795 है. भूमि में वादीया का 1.897 है. हिस्सा दर्ज थी जो वादीया की खरीदशुदा भूमि थी जिसे विक्रय कर दी उन रूपयों से

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रतिवादी सं0 1 ने चक 33 एसाटीजी की 1.487 है. भूमि अपने नाम करवा ली। जिस पर झगड़ा हुआ और इस भूमि में से चक 33 एसटीजी के प. न. 15/333 की 1.012 है0 भूमि रेस्पोडेण्ट ने कब्जा वादीया को भौतिक रूप से प्रदान कर दिया जिस पर अपीलाण्ट ने अपना कब्जा काश्त बताया है। इस भूमि को वादपत्र के द्वारा उसकी खातेदारी घोषित करने व प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन करने का अनुतोष चाहा गया था। अपीलाण्ट और रेस्पो0 सं0 1 पति पत्नी हैं। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी सं0 1 दिनांक 08.11.2016 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये और जवाब हेतु समय मांगा। पत्रावली वास्ते जवाब चलती रही। दिनांक 21.03.2017 को पत्रावली में वास्ते जवाब 25.04.2017 तारीख दी गई। दिनांक 25.04.2017 को पत्रावली पेशी में नहीं आई और दिनांक 18.05.2017 को कैम्प राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प अमरपुरा में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें अंकित है कि "वादी प्रतिवादीगण सूचना के बाद भी उपस्थित नहीं पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद वादीया साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।" इस आदेशिका से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलाण्ट उपस्थित नहीं था उसे सुना नहीं गया। पत्रावली की फर्द अहकाम में पत्रावली को कैम्प में रखे जाने का कोई आदेश अंकित नहीं है। पत्रावली वास्ते रेस्पोडेण्ट के जवाब हेतु रखी गई थी कोई जवाब पेश नहीं हुआ है न ही जवाब बंद किया गया है। यदि वादी उपस्थित नहीं था तो वाद वादी अदम हाजरी में खारिज किया जाना चाहिए था। अपीलाधीन निर्णय अपीलाण्ट को सुने बिना एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2017 निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित किये जाने योग्य है कि उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायायल

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

के समक्ष दिनांक 24.02.2020 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडीआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.02 12:39:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: